



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:20081

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

लखनऊ

धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत

आवेदन संख्या - 221 सन् 2026

सोनिया बानो@सोनी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ एवं 4 अन्य

.....विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक के अधिवक्ता

:

वैभव मिश्रा

विरोधी पक्ष के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता, अरविन्द कुमार उपाध्याय,

सुजीत कुमार मिश्रा

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री वैभव मिश्रा, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.के. शाही और अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार उपाध्याय, जिन्होंने अधिवक्ता श्री सुरजीत कुमार मिश्रा और अधिवक्ता श्री विशाल त्रिपाठी के साथ आज न्यायालय में निजी विरोधी पक्षकारों कि ओर से वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हैं, जिसे अभिलेख पर लिया गया है, को सुना गया, और साथ ही अभिलेख का अवलोकन भी किया गया है।

2. यह आवेदन आवेदक द्वारा प्राथमिकी संख्या 254/2013, धारा 363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत थाना- परसपुर, जिला- गोंडा में अग्रिम जमानत की माँग करते हुए दायर किया गया है।
3. इस अग्रिम जमानत याचिका पर जोर देते हुए कहा गया है कि लिखित सूचना के आधार पर, प्राथमिकी अर्थात् प्राथमिकी संख्या 185/2013, वाद अपराध संख्या 254/2013 के रूप में दिनांक 07.12.2013 को धारा 363, 366 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दर्ज की गई थी।
4. आगे यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी/ राम कुमार ने शिकायतकर्ता की लगभग 16 वर्षीय नाबालिग बेटी/ पीड़िता को 28.11.2013 को दोपहर लगभग 2.00 बजे बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया।
5. आगे यह भी कहा गया है कि जाँच के दौरान पीड़िता को बरामद किया गया और धारा 161 और 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उसके बयान दर्ज किए गए।
6. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के बयानों की प्रतियों के आधार पर, जो इस आवेदन के अनुलग्नक संख्या 5 और 6 के रूप में क्रमशः अभिलेख में हैं, यह कहा गया है कि पीड़िता का राम कुमार (सह-आरोपी) के साथ प्रेम

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संबंध था और उसने राम कुमार से विवाह किया था। यह भी कहा गया है कि जाँच के दौरान पीड़िता ने आवेदक का नाम नहीं बताया है।

7. आगे यह निवेदन किया गया है कि वाद अपराध संख्या 254/2013 में आरोप पत्र केवल सह-आरोपी/ राम कुमार के विरुद्ध दायर की गई थी।
8. आगे यह भी कहा गया है कि विचारण की सुनवाई के दौरान, पीड़िता के चाचा ने धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया, जिसमें आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों, जिनमें पीड़िता के माता-पिता भी शामिल थे, को पक्षकार बनाया गया और पीड़िता के चाचा द्वारा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर आवेदन पर, जिसे वाद संख्या 453 सन् 2014 (रफीक बनाम राम चरण और अन्य) के रूप में पंजीकृत किया गया था, संबंधित मजिस्ट्रेट ने दिनांक 15.11.2014 को आदेश पारित किया, जिसके द्वारा थाना- परसपुर, जिला- गोंडा के प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।
9. मजिस्ट्रेट के दिनांक 15.11.2014 के आदेश के अनुपालन में, प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसे थाना- परसपुर, जिला- गोंडा में धारा 147, 452, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत वाद अपराध संख्या 224 सन् 2014 के रूप में पंजीकृत किया गया।
10. आगे यह भी कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के दिनांक 15.11.2014 के आदेश के बाद, विचारण न्यायालय के समक्ष पीड़िता ने वाद अपराध संख्या 254 सन् 2013 में आवेदक का नाम बताया, जिसके संबंध में पीड़िता ने जाँच के दौरान आवेदक के विरुद्ध कभी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कोई आरोप नहीं लगाया था और इसलिए आरोप पत्र केवल आरोपी/ राम कुमार के विरुद्ध दायर किया गया था।

11. आगे यह भी कहा गया है कि पीड़िता के बयान के आधार पर, वाद अपराध संख्या 254 सन् 2013 से संबंधित विचारण में एक आवेदन दायर किया गया था और उक्त आवेदन पर विचारण न्यायालय ने धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दिनांक 28.07.2015 के आदेश द्वारा आरोपी को विचारण का सामना करने के लिए तलब किया था।

12. आगे यह भी कहा गया है कि दिनांक 28.07.2015 के आदेश को अभियुक्त/ आवेदक द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 565 सन् 2015 (सोनिया बानो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) के माध्यम से चुनौती दी गई थी और यह आपराधिक पुनरीक्षण सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

13. आगे यह भी कहा गया है कि उपरोक्त पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान, निचली अदालत ने दिनांक 29.06.2018 के आदेश द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किया था और इसे धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या 6431 सन् 2018 (सोनिया बानो उर्फ सोनी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) के माध्यम से चुनौती दी गई थी और इस आवेदन को इस न्यायालय ने दिनांक 08.12.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया है।

14. यह भी कहा गया है कि आवेदक से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, इसके निम्नलिखित कारण हैं: (i) प्राथमिकी वर्ष 2013 में दर्ज की गई थी, जिसका पंजीकरण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वाद अपराध संख्या 254 सन् 2013 है; (ii) जाँच के दौरान पीड़ित ने आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया; और (iii) संबंधित जाँच अधिकारी (संक्षेप में "आई.ओ.") द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य पहले से ही अभिलेख में मौजूद हैं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मुशीर आलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 116** मामले में की गई टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया है।

15. यह भी कहा गया है कि वाद के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, जैसा कि बताया गया है, जिसमें दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान करना शामिल है, और यह देखते हुए कि वाद अपराध संख्या 224/2014 में पीड़ित द्वारा आवेदक का नाम लिया गया है, इस न्यायालय द्वारा आवेदक के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

16. माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता और निजी विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता ने इस आवेदन का विरोध किया। हालांकि, वे आवेदक के अधिवक्ता द्वारा कही गई उपरोक्त बातों का खंडन नहीं कर सके।

17. ऊपर उल्लिखित वाद के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों तथा कानून के स्थापित सिद्धांत पर विचार करने के बाद, मेरा यह मत है कि उपरोक्त तथ्य आवेदक को जमानत देने के लिए पर्याप्त हैं।

18. उपरोक्त के मद्देनजर, आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपर्युक्त वाद अपराध में आवेदक - **सोनिया बानो उर्फ सोनी** की गिरफ्तारी/ उपस्थिति की स्थिति में, उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, बशर्ते वे थाना प्रभारी/ संबंधित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों पर और विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली किसी भी अन्य शर्त के अधीन रहते हुए, 25,000/- रुपये की समान राशि का एक निजी बन्ध पत्र और दो सक्षम जमानतदारों (जिनमें से एक परिवार का सदस्य/ निकट संबंधी होना चाहिए) प्रस्तुत करें:-

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके;
- (ii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- (iii) कि आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; और
- (iv) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव/ धमकी नहीं देगा।

19. विचारण न्यायालय के लिए यह खुला है कि वह कोई अन्य उचित शर्त निर्धारित कर सकती है जिसे वह उपयुक्त समझे।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

मार्च 19, 2026

अरुण/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।